

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 04 / 2021

जुहरदी पत्नि अस्सा जाति मेव निवासी जुहरा तहसील कामाँ (भरतपुर)
अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत लाडलाका जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लाडलाका तहसील पहाडी (भरतपुर)
2. फरजाना पत्नि अली मौहम्मद जाति मेव निवासी जुहरा तहसील कामाँ
रैस्पोजेन्टस
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब पहाडी (भरतपुर)
फौरमल पक्षकार


अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट
विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 03 दिनांक 20 / 07 / 2020
ग्राम पंचायत लाडलाका तहसील पहाडी

1. श्री सतीश शर्मा वकील अपीलान्ट

दिनांक :- 04 / 05 / 2022

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट के तहत विरुद्ध रैस्पोजेन्टस इस आशय की पेश की कि आराजी खसरा नम्बर 537 / 0.26, 249 / 0.17, 540 / 0.06, किता -3 रकबा 0.49 हैक्टर बांके ग्राम अहलवाडी तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुत0 के 1/3 हिस्से की प्रार्थीया खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है जिसे प्रार्थीया द्वारा दिनांक 05 / 06 / 2020 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा रस्सू पुत्र साहब खां जाति मेव निवासी ग्राम अहलवाडी तहसील पहाडी से खरीद किया था और अपीलान्ट अपने खरीदशुदा आराजी पर खरीद के बाद से आज तक निरन्तर रूप से बतौर खातेदार काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है तथा अपीलान्ट के हिस्से की आराजी से रैस्पोजेन्ट संख्या 2 का कोई संबन्ध नहीं है विवादित आराजी के 2/3 हिस्से को रैस्पोजेन्ट संख्या 2 द्वारा तथा 1/3 हिस्से को


उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)



की गई है। अतः नामान्तरण संख्या 03 दिनांक 20.07.2020 को खारिज किया जाना उचित है।

अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर आज नामान्तरण संख्या 03 दिनांक 20.07.2020 सरपंच ग्राम पंचायत लाडलाका को निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार पहाड़ी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे उभयपक्ष को सुनकर एवं रजिस्टर्ड बयानामा की जाँच कर पुनः नामान्तरण की कार्यवाही करें। निर्णय प्रति तहसीलदार पहाड़ी को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय निर्णय आज दिनांक 04/05/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गौयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पहाड़ी (भरतपुर)

